न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 14 / 2015

किस्म :– वाद–पत्र

दायर दिनांक : 10.02.2015

निर्णय दिनांक : 23.02.2026

अनवान

1. बाली पुत्री लेहरु पत्नि रतन जाति जाट निवासी मकनपुरीया हाल खुमाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

वादीया

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
2. रोशनलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
3. भगवानलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
4. गोवर्धनलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
5. श्रीलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
6. शान्तिलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
7. सोसर देवी पत्नि स्व लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
8. बालुराम पिता देवकिशन जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
9. लहरी पत्नि स्व देवकिशन जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
10. कमलाबाई पुत्री बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
11. नोजी बाई पत्नि बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
12. भगवानदास पिता बिहारी जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
13. राजीबाई पुत्री बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
14. श्यामदास पिता बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
15. कालीबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
16. देउबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
17. बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
18. शान्तीदास पिता रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
19. चेतनदास पिता शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
20. मुकेशदास पिता शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
21. मन्जुदेवी पत्नि शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
22. हीरा पुत्री शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
23. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से— अधिवक्ता लादूलाल जाट
प्रतिवादी की ओर से— अधिवक्ता राजकुमार जोशी

निर्णय

वादी का वाद पत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है। कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 राजस्व ग्राम मकनपुरिया पटवार हल्का कायस्था के आराजी संख्या 01, 10, 160, 161, 19, 02, 26, 09, कुल किता 08 रकबा 4.7510 हैक्टर कृषि आराजीयात स्थित है यह कि वाद पत्र के पैरा संख्या 02 राजस्व ग्राम मकनपुरिया के आराजी संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, कुल किता 07 रकबा 2.9137 हैक्टर कृषि आराजीयात स्थित है वाद पत्र के पैरा संख्या 03 राजस्व ग्राम मकनपुरिया के आराजी संख्या 05 रकबा 0.0647 हैक्टर आ0चा0 स्थित है, वाद पत्र के पैरा संख्या 04 में राजस्व ग्राम मकनपुरिया आराजी संख्या 23 रकबा 0.0405 हैक्टर आ0चा0 स्थित है।

यह कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के परिवार का पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार है :—

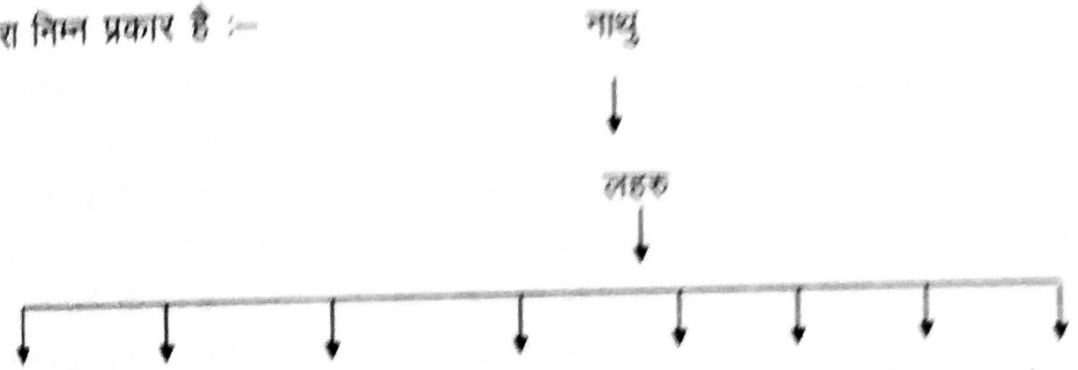

यह कि वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत0 7 के पूर्वज मुल पुरूष लहरु पिता नाथु जी थे लहरु जी की मृत्यु के उपरान्त लहरु जी की समस्त भुमिया लहरु जी के समस्त प्रथम अनुसुची के वारिसानो (छः पुत्र कंमशः बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल गोवर्धनलाल श्रीलाल व शान्तिलाल एंव पुत्री बाली एंव पत्नि सोसरबाई) को हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त भुमिया उतराधिकार में प्राप्त हुई जिसमें लहरु जी के समस्त वारिसान का बराबर का हिस्सा निहित है। यह कि वादीया लेहरु पिता नाथु की जायन्दा पुत्री है एंव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 लेहरु पिता नाथु की जायन्दा पुत्र है एंव प्रतिवादी संख्या 07 लेहरु की पत्नि है। यह कि प्रतिवादी संख्या 06 शान्तिलाल, लहरु जी का विधिक वारीसान है लहरु जी की मृत्यु के समय प्रतिवादी संख्या 06

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

शान्तिलाल, काफी छोटा था ग्रम पंचायत व पटवारी हल्का ने वादग्रस्त भुमियो में नाम अंकित नही किया प्रतिवादी संख्या 6 शान्तिलाल लहरु जी का विधिक वारीसान है जिससे उसको पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 से 04 में वर्णित भुमिया ग्रम मकनपुरीया में स्थित है जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के संयुक्त स्वामित्व एंव आधिपत्य की होकर के पैतृक एंव मौरुसी कृर्षि भुमिया है वादग्रस्त कृर्षि भुमिया वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 को अपने पिता लहरु जी से विरासत में प्राप्त हुई व प्रतिवादी संख्या 07 को अपने पति लहरु जी से विरासत में प्राप्त हुई लहरु जी की मृत्यु के उपरान्त ग्रम पंचायत व पटवारी हल्का काबरा ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जॉच किये बिना बाले–बाले बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल गोवर्धनलाल श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण संख्या 08 निर्णित कर दिया जो वादीया के मुकाबले प्रारंभ से ही शुन्य होकर रद्ध, बेअसर है (Ab Initionvoid) है ग्रम पंचायत व पटवारी हल्का काबरा को लहरु जी के समस्त वारिसानो की जाचॅ कर लहरु जी के समस्त वारिसानो के नाम पर नामान्तकरण निर्णित करना चाहीये था बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल गोवर्धनलाल श्रीलाल व सोसर ने ग्राम पचायत संरपच व पटवारी हल्का काबरा से मिलि भगत कर षडयन्त्र पुर्वक, फर्जी तरिके से अपने नाम पर नामान्तकरण निर्णित करवा दिया जबकी ग्राम पंचायत काबरा को लहरु जी के समस्त वारिसानो की जॉच कर लहरु जी के छः पुत्र कंमशः बद्रीलाल रोशनलाल भगवानलाल गोवर्धनलाल, श्रीलाल व शान्तिलाल एंव पुत्री बाली एंव पत्नि सोसरबाई सभी के नाम पर नामान्तकरण निर्णित करना चाहीये था। यह कि वादीया लहरु जी की प्रथम अनुसुची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से वाद पत्र की कलम 01 में वर्णित भुमियो में वादीया का 1/8 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे वादीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे वादीया का वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित भुमियो में 1/8 हिस्सा है प्रतिवादीगण संख्यां 01 से लगायत 07 प्रत्येक का 1/8 – 1/8 निहित था ग्राम पंचायत ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जॉच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 5 व 7 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाया जावें। इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 01 मे वर्णित भुमियो में वादीया का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्यां 01 से लगायत 07 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। यह कि वादीया लहरु जी की प्रथम अनुसुची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से वाद पत्र की कलम 02 में वर्णित भुमियो में वादीया का 1/8 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे वादीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे वादीया का वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भुमियो में

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

1/8 हिस्सा है प्रतिवादी संख्यां 01 से लगायत 07 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा निहित था ग्राम पंचायत ने लहरु के समस्त वारिसानो की जॉच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 व 07 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाया जावें। वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भुमियो में रोशनलाल 1/8 हिस्सा ही था, लेकिन रोशनलाल के नाम पर 1/6 हिस्सा गलत दर्ज हो जाने से 1/6 हिस्सा रोशनलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये प्रतिवादी संख्या 03 भगवानलाल को विक्रय कर दिया जो वादीया के मुकाबले प्रारंभ से ही शुन्य होकर रद्ध, बेअसर है (Ab Initionvoid) है रोशनलाल का वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भुमियो में 1/8 हिस्सा ही था भगवानलाल को 1/6 हिस्सा विक्रय करने का रोशनलाल को कोई हक अधिकार नही था रोशनलाल ने अपने 1/8 हिस्से से अधिक भुमि 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 भगवानलाल को विक्रय की उसे विलोपित फरमाया जावे। इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 02 मे वर्णित भुमियो में वादीया का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्यां 1 व 4 से लगायत 07 प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्यां 03 का का 1/6 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। यह कि वादीया लहरु जी की प्रथम अनुसुची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से वाद पत्र की कलम 03 में वर्णित भुमियो में वादीया का 1/16 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे वादीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे वादीया का वादपत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित भुमियो में 1/16 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 01 बद्रीलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 रोशनलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 भगवानलाल का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 गोवर्धनलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 श्रीलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 शान्तिलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 सोसरबाई का 1/16 हिस्सा निहित था ग्राम पंचायत ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जॉच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 व 07 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाय जावें इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 03 मे वर्णित भुमियो में वादीया का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्यां 01 से लगायत 07 प्रत्येक का 1/16–1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्यां 08 व 09 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। यह कि वादीया लहरु जी की प्रथम अनुसुची की वारिसान होकर लहरु जी की जायन्दा पुत्री होने से वाद पत्र की कलम 04 में वर्णित भुमियो में वादीया का 1/16 हिस्सा प्रारम्भ से ही निहित है पुत्रीयो का अपने पिता की सम्पतियो में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे वादीया को अपने पिता लहरु जी की सम्पतियो में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न हो गया था जिससे वादीया का वादपत्र की कलम संख्या 04 में वर्णित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

भूमियो में 1/16 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 01 बद्रीलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 रोशनलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 भगवानलाल का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 गोवर्धनलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 05 श्रीलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 शान्तिलाल का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 07 सोसरबाई का 1/16 हिस्सा निहित था ग्राम पंचायत ने लहरु जी के समस्त वारिसानो की जॉच किये बिना फर्जी व गलत तरिके से बद्रीलाल, रोशनलाल, भगवानलाल, गोवर्धनलाल, श्रीलाल व सोसर के नाम पर नामान्तकरण निर्णित कर देने से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 व 07 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा गलत अकिंत कर दिया उसे विलोपित फरमाया जावें। इस प्रकार वादपत्र की कलम संख्या 04 मे वर्णित भुमियो में वादीया का 1/16 हिस्सा व प्रतिवादी संख्यां 01 से लगायत 07 प्रत्येक का 1/16– 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्यां 10 से लगायत 14 प्रत्येक का 1/24– 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्यां 15 से लगायत 18 प्रत्येक का 1/16 –1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्यां 19 से लगायत 22 प्रत्येक का 1/96 –1/96 हिस्सा घोषित फरमाया जावें। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 01 से लगायत 04 में वर्णित भूमियां वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 की मौरूसी होकर पैतृक है जिसमें वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 का विधि अनुरूप हक हिस्सा निहित है। लेकीन ग्रम पचायत व पटवारी हल्का व अन्य व्यक्ति द्वारा मिली भगत करके गलत रुप से नामान्तकरण निर्णित कर देने से प्रतिवादी सख्या 01 से लगायत 05 व 07 के नाम पर गलत रुपेण दर्ज हो जाने से अन्य व्यक्ति को विक्रय करने पर उतारु है जबकि मौके पर वादीया अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रही है वादीया को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 द्वारा मौके से बेदखल करना चाहते है जिससे वादीया को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 मौके से बेदखल नही करे न ही वादीया के उपयोग–उपभोग में बाधा, दखलन्दाजी कारित करे प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 को उपरोक्त तथ्यों की पूर्ण रूप से जानकारी है कि वादीया उक्त वादग्रस्त भूमि पर वैध रुपेण काबिज है तथा उक्त भूमियां वादीया के स्वामित्व आधिपत्य एवं हक अधिकार की है इसके बावजुद कुछ भूमाफियों के प्रभाव के चलते प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 बिना किसी अधिकार के वादीया को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमदा है जिसका प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 को कोई हक अधिकार नही है। वादीया द्वारा निवेदन के बावजुद भी प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 उक्त अवैध कृत्य करने पर आमदा है ऐसी स्थिति वादीया के पक्ष में एव प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 वादपत्र की कलम संख्या 01 से लगायत 04 में वर्णित भूमियों में वादीया के स्वामित्व आधिपत्य की है उसमें वादीया के उपयोग–उपभोग व कब्जे में किसी प्रकार की बाधा, रुकावट, दखलन्दाजी कारित नही करे एवं भूमियों को अन्य किसी व्यक्ति, संस्था आदि को हस्तांतरित नही करे न ही रहन, बह, बक्षीस करे, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाए रखे इस बाबत् प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। यह कि

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वादीया की ओर से उक्त वादपत्र खातेदारी अधिकारो की घोषणा की सहायता भी चाही गई है खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिये वादीया का वाद विधि द्वारा किसी प्रकार से समयावधि से बाधित नही है एवं विशेष रूप से जहां फर्जी तरीके से अपने नाम पर अंकन करा देने से वह अन्य विधि में भी वाद बाधित नही है। यह कि प्रतिवादी संख्या 23 राज्य सरकार भूमिधारक होने से एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने से इनके द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया व विभाजन का वाद होने के कारण उनको पक्षकार बनाया गया है एवं अन्यथा राज्य सरकार के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई है। यह कि प्रतिवादी संख्या 23 राज्य सरकार के भूमिधारी होने से उनको पक्षकार बनाया गया है एवं मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) जा.दी. का नोटिस दिये बगैर ही उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके अनुमति बाबत् धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। यह कि वादीया का वादपत्र हेतु दिनांक 08/09/2022 को वादीया को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 ने वादग्रस्त भूमियो को अन्य व्यक्ति को विकय करने की बात सुनी एवं वादीया को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल करने की धमकिया दी तब से वादीया को वादपत्र प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादग्रस्त भूमिया राजस्व ग्राम मकनपुरीया पटवार हल्का काबरा तहसील क्षैत्र रेलमगरा में स्थित होने से वाद पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको है।

प्रार्थना है कि वादपत्र की कलम संख्या 01 व 02 में वर्णित वादग्रस्त भूमियां में वादीया का 1/8वां हिस्सा एंव वाद पत्र की कलम संख्या 03 व 04 में वर्णित वादग्रस्त भूमियां में वादीया का 1/16वां हिस्सा घोषित फरमाया जाकर खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक डिकी वादीया के पक्ष में फरमाई जावे। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन फरमाया जावे। यह कि वादपत्र की कलम संख्या 10, 11, 12 व 13 में वर्णित अनुसार हिस्सा विलोपित फरमाया जाकर राजस्व रेकार्ड में सही ईन्द्राज फरमाया जावे। यह कि वादीया के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी पारित फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि में वादीया के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, कारित नही करे न ही अन्य को विकय, रहन, बह, बक्षीस करे इस आशय से प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावे। यह कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 07 द्वारा वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण कर दे तो उसे अवैध व शुन्य घोषित फरमाया जावे। अन्य समुचित सहायता जो वादीया प्राप्त करने का अधिकारिणी हो प्रदान कराई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01, 03, 04, 06, 08, 09 व 15 से 17 व 22 से बावजूद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 10, 11,से 14, 16, 19 से 22 के विरूद्ध अधिवक्ता वादी ने कोई

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

कार्यवाही नही चाही गई। प्रतिवादीगण संख्या 02, 05, 07 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया। तथा प्रतिवादी संख्या 23 भूमिधारक एवं आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है अन्यथा उनके विरूद्व किसी प्रकार की कोई दाद नही चाही गई है, जिससे जवाब की आवश्यकता नही रही।

वादी ने अपने वाद के सर्मथन में गवाह पी0डब्ल्यू 01 बाली पुत्री लेहरू पत्नि रतनलाल जाट का शपथपत्र प्रस्तुत किया। दस्तावेज जमाबंदी की प्रतियां प्रर्दश 01से 07 व नामान्तकरण संख्या 08 की प्रति प्रर्दश 08, जमाबंदी की प्रतियां प्रर्दश 09 आधार कार्ड की प्रति प्रर्दश 10 के प्रस्तुत की गयी।

वादी पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

उपरोक्तानुसार अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मकनपुरीया पटवार हल्का काबरा के वाद पत्र के पैरा संख्या 01 व 02 में आराजी संख्या 01, 10, 160, 161, 19, 02, 26, 09, कुल किता 08 रकबा 4.7510 हैक्टर व आराजी संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, कुल किता 07 रकबा 2.9137 हैक्टर मे वादीया वादीया का 1/8वां हिस्सा, प्रत्येक प्रतिवादगण संख्या 01 से 07 का वाद पत्र के पैरा संख्या 03, 04 में आराजी संख्या 05 व 23, आ0चा0 में वादीया का 1/16 वां हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 का 1/16 वां हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। तहसीलदार पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय मे आदेश मे सुनाया गया ।

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद
पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या– 150 / 2022
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 21.10.2022
निर्णय दिनांक : 26.02.2026

अनवान

वादीपक्ष :–

1– बाली पुत्री लेहरु पत्नि रतन जाति जाट निवासी मकनपुरीया हाल खुमाखेडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद।

बनाम

प्रतिवादीपक्ष :–

1– बद्रीलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
2– रोशनलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
3– भगवानलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
4– गोवर्धनलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
5– श्रीलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
6– शान्तिलाल पुत्र लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
7– सोसर देवी पत्नि स्व लेहरु जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
8– बालुराम पिता देवकिशन जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
9– लहरी पत्नि स्व देवकिशन जाति जाट निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
10–कमलाबाई पुत्री बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
11–नोजी बाई पत्नि बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
12– भगवानदास पिता बिहारी जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
13–राजीबाई पुत्री बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
14–श्यामदास पिता बिहारीदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
15–कालीबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
16–देउबाई पुत्री रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
17–बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
18–शान्तीदास पिता रामचन्द्रदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
19– चेतनदास पिता शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
20–मुकेशदास पिता शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
21–मन्जुदेवी पत्नि शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
22–हीरा पुत्री शंकरदास जाति वैरागी निवासी मकनपुरीया तहसील रेलमगरा
23.– राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद बाबत् खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से:– अधिवक्ता लादुलाल जाट
प्रतिवादी की ओर से:– अधिवक्ता राजकुमार जोशी

मे इस आशय में दिनांक 26.02.202 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88, आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मकनपुरीया पटवार हल्का काबरा के वाद पत्र के पैरा संख्या 01 व 02 में आराजी संख्या 01, 10, 160, 161, 19, 02, 26, 09, कुल किता 08 रकबा 4.7510 हैक्टर व आराजी संख्या 11, 12, 13, 14, 15, 27, 28, कुल किता 07 रकबा 2.9137 हैक्टर मे वादीया वादीया का 1/8वां हिस्सा, प्रत्येक प्रतिवादगण संख्या 01 से 07 का वाद पत्र के पैरा संख्या 03, 04 में आराजी संख्या 05 व 23, आ0चा0 में वादीया का 1/16 वां हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 का 1/16 वां हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दूबाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा